भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1266

उत्तर देने की तारीख- 29/07/2026

असम के छः समुदायों को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किया जाना

1266 श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने असम के छः समुदायों- ताई अहोम, मोरन, मटक, चुटिया, कोच-राजबोंगशी तथा चाय जनजातियों -की अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा दिए जाने की दशकों से चली आ रही मांग का संज्ञान लिया है;

(ख) क्या सरकार को इन समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने के संबंध में असम सरकार से कोई हालिया अनुशंसा प्राप्त हुई है, असम मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में अनुमोदित मंत्रियों के समूह की रिपोर्ट भी शामिल है; और

(ग) क्या इस प्रस्ताव की राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) तथा भारत के महारजिस्ट्रार (आरजीआई) द्वारा समीक्षा अथवा अनुमोदन किया गया है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क): जी हां, महोदय। असम राज्य सरकार से ताई अहोम, मोरन, मटक, चुटिया, कोच-राजबोंगशी तथा चाय जनजातियों को असम राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख): इस मंत्रालय में असम राज्य सरकार से हाल में ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग): भारत सरकार ने दिनांक 15.06.1999 को (25.06.2002 व 14.09.2022 को पुनः संशोधित) अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में समावेशन, से अपवर्जन और अन्य संशोधनों के दावों पर निर्णय लेने के लिए प्राविधियां निर्धारित की हैं। प्राविधियों के अनुसार, केवल उन्हीं प्रस्तावों पर विचार किया जाता है तथा विधान में संशोधन किया जाता है जिन्हें संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा अनुशंसित किया गया हो और न्यायोचित माना गया हो और भारत के महापंजीयक के कार्यालय (ओआरजीआई) तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) के द्वारा सहमति प्राप्त हो। समस्त कार्रवाई अनुमोदित प्राविधियों के अनुसार की जाती है। किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों की सूची में समावेशन के प्रस्तावों में प्राविधियों के अनुसार कुछ प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है। प्रस्तावों की जांच आरजीआई कार्यालय और फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) द्वारा की जाती है। इसलिए, ऐसे कई प्रस्ताव विभिन्न स्तरों पर जांच के अधीन रह सकते हैं।
